

Public Dialogue on Child Trafficking, District-Bhilwara

14 February, 2020

As discussion in public dialogue meeting on 14 February 2020 at Bhilwara It has noticed that each and every hazardous work places where child labour doing, immediate action should be implemented action the employer and FIR should be lodged under JJ 79. District child labour task force committee will take necessary action against the employer and will aware the communities to avoid child labour and link the children with various Government schemes. Every police station will appoint child welfare police officer; so children can tell easily their issues without suffering the fear. District child protection committee meeting should be organised in every month. After that all stakeholder done signature to make child labour free Rajasthan under the campaign. Total Participants (Including guest)- 135 Male- 90, Female-45, Girls (Adolescent)-24, Boys (Adolescent)-38

The following persons attended the event

1. Dr. Shailendra Pandya (MEMBER) RSCPCR
2. Mr. Rajiv Chaudhary (Secretary) DLSA, Bhilwara
3. Dr. Suman Trivedi (Ex.Chairperson, CWC) And Child Expert
4. Mr.Bhanwar Randheer Singh (CO City)
5. Dr. Rajkumari Bhargav (GSS)And Child Expert
6. Mrs. Aditi Upadhyay (Joint Dir.) GSS
7. Dr. Rajesh Chhapparwal (Member) CWC Bhilwara
8. Mrs. Seema Trivedi (Member) CWC Bhilwara
9. Mr. Farukh Pathan (Member) CWC Bhilwara
10. Mrs. Chandrakala Ojha (Member) CWC Bhilwara
11. Mr. Dharmraj Pratihar (Add.Dir) DCR Bhilwara
12. Mr. BK Gupta (Convenor) Bal Suraksha Network)

An auspicious occasion on child trafficking issues a public dialogue Program was organised by CUTS International in association with Kailash Satyarthi Children's Foundation, Gaytri Seva Sansthan, Udaipur and Rajasthan State child protection Commission at Gajadhar Mansinghka Dharmshala, Bhilwara on Friday, 14 February 2020. Honourable member of RSCPCR Dr. Shailendra Pandiya was the chief guest of the programme, Mr. Rajiv Chaudhary ADJ and Secretary District legal service authority, Bhilwara has presided the event. Dr. Suman Trivedi (Ex.Chairperson, CWC) And Child Expert. Mr.Bhanwar Randheer Singh (CO City) Dr. Rajkumari Bhargav (GSS) and Child Expert Mrs. Aditi Upadhyay (Joint Dir.) GSS, Dr. Rajesh Chhapparwal, Mrs. Seema Trivedi Mr. Farukh Pathhan, Mrs. Chandrakala Ojha (Member's) CWC Bhilwara, Mr. Dharmraj Pratihar (Add.Dir) Department of Child Rights Bhilwara and Mr. BK Gupta (Convenor) Bal Suraksha Network)were the guest of the program. Victim families of child labour raise their issues and solutions were provided them, AHTU Showed the statics of Child labour rescue operation. Honourable member of RSCPCR Dr. Shailendra Pandiya spoke that every police station should have Child welfare police officer and detailed about the public dialogue. A movie on child labour issues was shown to all participant's. A total 135 people attended the event including guest, women and childs.

Dr. Shailendra pandya member of RSCPCR specially spoke on the child rights and also well spoke on JJ ACT Specially sections JJ 79 and 75. And also instruct to police officers to appoint Child welfare police officer in each police station. They also aware to community and victim families to do not silent against the crime on the children. They also inform to report to child line, CWC and RSCPCR.

Mr. Rajiv Chaudhary ADJ and Secretary of DLSA Bhilwara spoke on child rights and services of DLSA and also gave information to community of the trafficking Acts and also shared share the Govt. schemes for the children.

Dr. Rajkumari Bhargav (Child Expert) from Gaytri Seva Sansthan overview on the public dialogue also spoke on need to work on child trafficking and child labour. She told that some child trafficked for smuggled their body parts on national and international level and they mostly escape due to their higher network and approach, so we should raise voice if we see any child work as a labour.

Dr. Suman Trivedi(Child expert) and ex Chairperson CWC Bhilwara spoke that they worked 9 years for children as a chairperson CWC Bhilwara and make extreme efforts to abolish the child labour and bonded labour, they also gave information of child marriage prohibition ACT and nullification of child marriage.

A youth asked to Dr. Shailendra pandya about the age of child labour, they told that age of below 18 every child is called child as per the JJ Act.

A victim lady as a survivor asked about his child who was forcedly in protection of his father, Dr. pandya said till the age of 8 years, mother have right to kept her child in her protection.

Case stories

A ten year old boy freed from child labour

Childline(CUTS) team and Anti Human Trafficking Unit Bhilwara were Patrolling under the Operation ASHA for detain the child labor at NH -79 Rayla. Suddenly, During the Patrolling the Unit noticed a dhaba named Nakoda Restaurant, where a ten year old child SuraJ Bheel was baking Roti (Bread) on the furnace. Unit had rescued the child at the same time, and produced him in Child welfare committee, the child gave statement that his families economic conditions are vulnerable, seeing this situation, a person from his village put him to work at this dhaba, where he was made to hard work for more than twelve hours, and got only three thousand as a salary for this work. After that FIR lodged against the restaurant owner in police station Rayla under the section JJ79 and IPC 374. After this, the family of the child was called and after taking their opinion, till the time of adulthood the child Suraj Bheel was provided free education and accommodation in a private children home. Currently that child is studying well and also very happy.

A Nine year Girl was victim of trafficking and freed from Prostitution

In the month of August 2019, A case of forced prostitution came at Childline, a conscious person from the same community informed that a nine year old girl has been trafficked and he is being forced for prostitution by taking him hostage by a person of his community Chanda kanjar at his farm near by the village piplund in Jahajpur block; by getting the information Childline informed to Additional SP of the circle and also inform to SP and CWC. As per the planning police rescued the girl same night and produced in Child welfare committee where the girl told her story that he belongs to UP and her relatives had kidnap her and sell her for a fewer amount, and then she was brought here for forced prostitution, Jahajpur police informed to her parents, they came and the girl was handover to parents. And police lodged FIR against the accused who were involved in this crime.

बाल अधिकार जनसंवाद में आया सुझाव हर थाने में लगे बाल कल्याण अधिकारी

भास्कर संवाददाता | भीलवाड़ा

कट्स इंटरनेशनल की ओर से शुरूआत को टाउन हॉल में कैलाश सत्याधी चिल्ड्रन फाउंडेशन एवं गायत्री सेवा संस्थान, उदयपुर के तत्वावधान में बाल अधिकार संरक्षण विषय पर जनसंवाद हुआ। कट्स इंटरनेशनल के गौरव चतुर्वेदी ने कार्यक्रम का उद्देश्य बताया। राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य डॉ. शैलेन्द्र पण्ड्या ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य जिले को बाल श्रम मुक्त बनाना है।

बाल श्रम से संबंधित मामलों में आईपीसी के अतिरिक्त जेजे एक्ट की धाराओं में भी कार्यवाही हो। हर पुलिस थाने में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी नियुक्त हो। गायत्री सेवा संस्थान की राजकुमारी भागवत ने बताया कि यह कार्यक्रम



प्रदेश के 10 जिलों में होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजीव चौधरी ने शोधित बच्चों के लिए मुआवजा योजना की जानकारी दी। सीओ सिटी भंवर रणधीर सिंह व सिटी कोतवाली प्रभारी यशदीप भल्ला ने बताया कि मानव तस्करी विरोधी इकाई ने कई बच्चों को रेस्क्यू कर बाल श्रम से मुक्त करवाया। डॉ. सुमन

त्रिवेदी, गौरव चतुर्वेदी, गायत्री सेवा संस्थान के सहायक निदेशक अदिति उपाध्याय, बाल सुरक्षा नेटवर्क के वीके गुप्ता, बाल कल्याण समिति सदस्य डॉ. राजेश छापरावाल, फारूख पठान, सीमा त्रिवेदी, चंद्रकला ओझा, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य नरेश पारीक एवं सुनीता सांखला सहित विभिन्न स्कूलों के बच्चे मौजूद रहे।

बालश्रम संबंधी मामलों में आईपीसी के साथ जेजे एक्ट में भी हो कार्यवाही - पण्ड्या

* बाल दुर्व्यापार को मुक्त करने के लिए जागरूकता जरूरी * जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित

न्यूज सर्विस/नवज्योति, भीलवाड़ा

कट्स इंटरनेशनल द्वारा कैलाश सत्याधी चिल्ड्रन फाउंडेशन एवं गायत्री सेवा संस्थान उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में बाल अधिकार संरक्षण विषय पर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें कट्स के गौरव चतुर्वेदी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिले में बाल दुर्व्यापार को मुक्त करने के लिए जागरूकता करना है। राज्य बाल संरक्षण आयोग, के सदस्य डॉ. शैलेन्द्र पण्ड्या ने कहा कि राज्य बाल दुर्व्यापार मुक्त बने, इसके साथ ही बालश्रम से भी मुक्ति मिले ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं। डॉ. पण्ड्या शुरुआत को गजाधर मानसिंह का बर्गशाला में कट्स इंटरनेशनल द्वारा कैलाश सत्याधी चिल्ड्रन फाउंडेशन एवं गायत्री सेवा संस्थान, उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में बाल अधिकार संरक्षण (बाल दुर्व्यापार मुक्त राजस्थान) विषय पर जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन व हितधारक अगर शिक्षा पर बाल श्रम को लेकर कार्यवाही करें तो बालश्रम संबंधी शिक्षाकर्ता काफी कम होंगे। बाल श्रम से सम्बंधित मामलों में एडव पी सी के अतिरिक्त जे जे एक्ट की धाराओं में भी कार्यवाही हो व हर पुलिस थाने में



बाल कल्याण पुलिस अधिकारी नियुक्त हो। जनसंवाद कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाड़ा के सचिव राजीव चौधरी ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शोधित बच्चों के लिए सरकारी द्वारा शोधित राजस्थान पीडीटी प्रतिहार मुआवजा योजना लागू है। उन्होंने योजना की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की। गायत्री सेवा संस्थान उदयपुर की राजकुमारी भागवत ने इस अवसर पर कहा कि यह कार्यक्रम राजस्थान के 10 जिलों में आयोजित किया जायेगा, प्रारम्भ भीलवाड़ा जिले से किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य बालश्रम एवं शोषण से पीडीटी के साथ चर्चा करना व जिन परिस्थितियों में वह बालश्रम का शिकार हुए हैं उन कारणों तक पहुंचना है। सीओ सिटी भंवर रणधीर सिंह एवं सिटी कोतवाली प्रभारी यशदीप भल्ला ने बाल श्रम रेस्क्यू पर जानकारी दी।

देते हुए बताया कि मानव तस्करी विरोधी इकाई द्वारा जिले में कई बच्चों को रेस्क्यू कर बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाया गया था। डॉ. सुमन त्रिवेदी, पूर्व बाल कल्याण समिति अध्यक्ष ने भी बाल दुर्व्यापार एवं बाल श्रम पर भीलवाड़ा जिले की स्थिति बताई। सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग धर्मराज प्रतिहार ने पालनहार योजना के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में गायत्री सेवा संस्थान के सहायक निदेशक अदिति उपाध्याय, बाल सुरक्षा नेटवर्क के वीके गुप्ता, बाल कल्याण समिति सदस्य डॉ. राजेश छापरावाल, फारूख पठान सीमा त्रिवेदी, चन्द्रकला ओझा, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य नरेश पारीक, सुनीता सांखला, पटवर्गी के प्रतिनिधि, एवं जिले के विभिन्न स्कूलों के 140 बच्चों ने भाग लिया। आभार कट्स के मदन गिरी गोस्वामी ने व्यक्त किया।

बालश्रम संबंधी मामलों में आईपीसी के साथ जे.जे. एक्ट में भी हो कार्यवाही - पण्ड्या

बाल दुर्व्यापार मुक्त राजस्थान विषय पर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित

लोकजीवन न्यूज सर्विस, भीलवाड़ा

राज्य बाल संरक्षण आयोग, के सदस्य डॉ. शैलेन्द्र पण्ड्या ने कहा कि राज्य बाल दुर्व्यापार मुक्त बने, इसके साथ ही बालश्रम से भी मुक्ति मिले ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं। डॉ. पण्ड्या शुरुआत को गजाधर मानसिंह का बर्गशाला में कट्स इंटरनेशनल द्वारा कैलाश सत्याधी चिल्ड्रन फाउंडेशन एवं गायत्री सेवा संस्थान, उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में बाल अधिकार संरक्षण (बाल दुर्व्यापार मुक्त राजस्थान) विषय पर जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन व हितधारक अगर शिक्षा पर बाल श्रम को लेकर कार्यवाही करें तो बालश्रम संबंधी शिक्षाकर्ता काफी कम होंगे। बाल श्रम से सम्बंधित मामलों में आई पी सी के अतिरिक्त जे जे एक्ट की धाराओं में भी कार्यवाही हो व हर पुलिस थाने में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी नियुक्त हो। जन संवाद कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजीव चौधरी ने



बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शोधित बच्चों के लिए सरकारी द्वारा शोधित राजस्थान पीडीटी प्रतिहार मुआवजा योजना लागू है। उन्होंने योजना को विस्तृत जानकारी भी प्रदान की। गायत्री सेवा संस्थान उदयपुर की राजकुमारी भागवत ने इस अवसर पर कहा कि यह कार्यक्रम राजस्थान के 10 जिलों में आयोजित किया जायेगा, प्रारम्भ भीलवाड़ा जिले से किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य बालश्रम एवं

शोषण से पीडीटी के साथ चर्चा करना एवं जिन परिस्थितियों में वह बालश्रम का शिकार हुए हैं उन कारणों तक पहुंचना है। सीओ सिटी भंवर रणधीर सिंह एवं सिटी कोतवाली प्रभारी यशदीप भल्ला ने बाल श्रम रेस्क्यू पर जानकारी देते हुए बताया कि मानव तस्करी विरोधी इकाई द्वारा जिले में कई बच्चों को रेस्क्यू कर बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाया गया। डॉ. सुमन त्रिवेदी, पूर्व बाल कल्याण समिति

अध्यक्ष ने भी बाल दुर्व्यापार एवं बाल श्रम पर भीलवाड़ा जिले की स्थिति बताई एवं बाल कल्याण समिति एवं चिल्ड्रनलाइन द्वारा कि गई कार्यवाही पर विस्तार से जानकारी प्रदान की। कट्स इंटरनेशनल के गौरव चतुर्वेदी ने कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य जिले में बाल दुर्व्यापार को मुक्त करने के लिए जागरूकता करना है। सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग धर्मराज प्रतिहार ने पालनहार योजना के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में गायत्री सेवा संस्थान के सहायक निदेशक अदिति उपाध्याय, बाल सुरक्षा नेटवर्क के वीके गुप्ता, बाल कल्याण समिति सदस्य डॉ. राजेश छापरावाल, फारूख पठान सीमा त्रिवेदी, चन्द्रकला ओझा, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य नरेश पारीक, सुनीता सांखला, पटवर्गी के प्रतिनिधि, एवं जिले के विभिन्न स्कूलों के 140 बच्चों ने भाग लिया। आभार कट्स के मदन गिरी गोस्वामी ने व्यक्त किया।

Photos

